



2026:AHC:57156

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 3530 वर्ष 2026

विष्णुकांत गुप्ता

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

..... प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: हरिओम कमल सिंह

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री हरिओम कमल सिंह एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता उपस्थित हैं।
2. सूचना (नोटिस) के बावजूद विपक्षी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. आवेदक-अभियुक्त, जिसकी वर्तमान आयु 23 वर्ष है, को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 15 का प्रयोग करते हुए, वयस्क के रूप में विचारण के लिए निर्देशित किया गया था। यह आदेश 25.06.2021 को पारित किया गया था और मामला बच्चों की अदालत को सुपुर्द कर दिया गया है। आवेदक ने उक्त आदेश को इस न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 2054 वर्ष 2021 में चुनौती दी थी, जिसे 09.08.2024 के आदेश द्वारा वापस लिए जाने के आधार पर खारिज कर दिया गया था।
4. वर्तमान आवेदन 20.01.2026 को सत्र वाद संख्या 288 वर्ष 2021 (राज्य बनाम विष्णुकांत) को निरस्त करने हेतु निम्नलिखित राहत के साथ दायर किया गया है। राहत का विवरण नीचे दिया गया है:-

"अत्यंत सम्मानपूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय वर्तमान आवेदन

को स्वीकार करने और विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो, सोनभद्र

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के न्यायालय में लंबित सत्र वाद संख्या 288 वर्ष 2021 (राज्य बनाम विष्णुकांत गुप्ता) के साथ-साथ थाना कोन, जिला सोनभद्र में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 81 वर्ष 2019, अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. से उत्पन्न संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त करने की कृपा करे।

यह भी प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय थाना कोन, जिला सोनभद्र में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 81 वर्ष 2019, अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. की संपूर्ण कार्यवाही को स्थगित करने की कृपा करे या ऐसा अन्य/आगे का आदेश पारित करे, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित और उपयुक्त समझे।"

5. सत्र वाद की कार्यवाही को निरस्त करने की राहत अधिनियम की धारा 19 के अनुपालन न किए जाने के आधार पर मांगी गई है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 19 के अनिवार्य अनुपालन पर न्यायिक निर्णयों की प्रचुरता है। उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के थिरूमूर्ति बनाम राज्य (पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व), 2024 (257) एआईसी 91; अजीत गुर्जर बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 126 (2023) एसीसी 330 के निर्णय; छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मामले ए बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (सीआरए संख्या 271 वर्ष 2023), निर्णय दिनांक 03.07.2025 के निर्णय; हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मामले ए बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (आपराधिक अपील संख्या 376 वर्ष 2019), निर्णय दिनांक 12.03.2025 के निर्णय; और तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा मोहम्मद दस्तगीर खान बनाम तेलंगाना राज्य (आपराधिक अपील संख्या 626 वर्ष 2019), निर्णय दिनांक 10.04.2025 में दिए गए निर्णयों पर भरोसा जताया है।

6. विचारण की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि मामला 20.03.2026 को निर्णय के लिए नियत है।

7. आगे की पूछताछ में, जब यह पूछा गया कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत इस आवेदन में पहली बार उठाए गए इस मुद्दे को कभी विचारण न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष उठाया गया था, तो विद्वान अधिवक्ता ने पूर्व में ऐसा कोई आधार लेने से इनकार कर दिया।

8. यह न्यायालय अधिनियम की धारा 19 के मात्र अनुपालन न होने के कारण आरोपी आवेदक को हुई किसी भी क्षति के बारे में आश्वस्त नहीं है, जिसे विचारण के पूरा होने पर उठाया गया



हैं। इसके अलावा, इस स्तर पर विचारण न्यायालय को कोई निर्देश जारी करने का कोई सार्थक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। यह आवेदन सारहीन और भ्रामक है।

9. अतः, आवेदन **खारिज** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना)

19 मार्च, 2026

Translated Version. Not For Legal Use.